भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3595

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

वैधानिक संपरीक्षा तथा जनहित पर्यवेक्षण ढांचे को मजबूती

†3595. **श्री परषोत्तमभाई रुपाला:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के वैधानिक संपरीक्षा तथा जनहित पर्यवेक्षण ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) तथा एस्टोनिया द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय डिजिटल ऑडिट रजिस्ट्री, वैधानिक संपरीक्षकों के लिए अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित जोखिम-आधारित निरीक्षण तथा संपरीक्षा की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा व्यवस्था जैसे सुधार लागू करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार निवेशकों का विश्वास, वित्तीय स्थिरता तथा कॉर्पोरेट वित्तीय प्रतिवेदन में जनविश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी-आधारित संपरीक्षा पर्यवेक्षण, साइबर एवं फॉरेंसिक संपरीक्षा मानकों, संपरीक्षकों की स्वतंत्रता तथा पारदर्शिता को मजबूत करने के उपायों पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा मंत्रालय प्रतिष्ठित वैश्विक रैंकिंग संस्थाओं के साथ नियमित रूप से पत्राचार करता है जो विभिन्न मानदंडों पर शैक्षिक संस्थाओं की लेखा परीक्षा करते हैं और भारतीय संदर्भ के लिए उपयुक्त संगत सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में शैक्षणिक संस्थानों में सुदृढ़ संस्थागत शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल वित्तीय प्रबंधन की स्थापना की परिकल्पना की गई है, और यह प्रावधान है

कि सभी शिक्षण संस्थानों को 'लाभ के लिए नहीं' इकाई के रूप में लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण के समान मानकों पर रखा जाएगा।

इसके अलावा, एनईपी 2020 में निम्नलिखित प्रावधान भी है:

(i) स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट-ऑफ-द-बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करते हुए लेखा परीक्षा और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक 'सरल किंतु सख्त' नियामक ढांचा, और

(ii) प्रत्येक कार्रवाई के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की आवधिक समीक्षा।

विभिन्न मौजूदा सांविधिक और विनियामक ढांचों के तहत, शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सहित नामित निकायों के साथ शैक्षिक संस्थानों के शासन, वित्तीय प्रबंधन और निगरानी को सुनिश्चित करता है।

हालांकि वर्तमान में राष्ट्रीय डिजिटल ऑडिट रजिस्ट्री शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, एनईपी 2020 शासन, संस्थागत दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करती है और इस संदर्भ में, शिक्षा मंत्रालय विविध हितधारकों के उपयोग के लिए जनहित में स्वयम, स्वयम+, निष्ठा, समर्थ, ओएनओएस आदि जैसी विभिन्न डिजिटल शासन पहलों को लागू कर रहा है।
